न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न० – 131 / 2025

अनवान : –

1. घनश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ । प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
110, 111 मय सपठित धारा 128 एलआरएक्ट
बीएस थिन्द अधिवक्ता प्रार्थी
राजपैरोकार 8/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 1 आर. डब्ल्यू. डी. पटवार हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा के खाता स० 8 / 8 प० न० 217 / 342 मु० न० 13 के किला न0 14, 15/1, 16/1, 17, 23, 24 / 1 कुल 0.9490 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक नं० 1 आर. डब्ल्यू.डी. तहसील टिब्बी के खाता सं0 8 /8 की कुल 0.949 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है तथा उपरोक्त कृषि भूमि की पैमाईश हेतु तहसीलदार टिब्बी द्वारा पटवारी हल्का को आदेश दिये गये तथा पटवारी हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा द्वारा कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टिब्बी के आदेश क्रमांक 2025/11135/1 दिनांक 15.04.2025 की पालना में चक 1 आर. डब्ल्यू. डी. पटवार हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा प० न० 214 /343, प० न० 217 / 344, व चक 2 आर.डब्ल्यू. के प० न० 218 / 340, प० न० 219 /340, प० न० 219 / 341 को आधार मानते हुए प्रार्थी व पडौसियान काशीराम, सतपाल, भगवानाराम आदि की उपस्थिति मौतबिरान पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान करवाया गया है तथा उपस्थित मौतबिरान केसमक्ष फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा सीमा चिन्ह लगाये गये । सीमा चिन्ह कायम रखने के लिए पांबद किया गया एंव पड़ौसी काश्तकारान काशीराम, भगवानाराम आदि ने सीमाज्ञान से सहमति जाहिर की, परन्तु आत्माराम असहमत हुआ । तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 1 आर. डब्ल्यू. डी. पटवार हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा के खाता स० 8 / 8 प० न० 217 / 342 मु0 न0 13 के किला न0 14, 15/1, 16/1, 17, 23, 24/1 कुल 0.949 हैक्टेयर भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये गये। प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि पडौसीयान के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं रहे । प्रार्थी चक 1 आर. डब्ल्यू. डी. पटवार हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा के खाता स० 8/8 प० न० 217/342 मु० न० 13 के किला न0 14, 15/1, 16/1, 17, 23, 24/1 कुल 0.949 हैक्टेयर भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा निशान दिये जाकर सीमा चिन्ह लगाये गये है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर काबिज होना चाहता है परन्तु पत्थरगढ़ी के निशान नहीं होने के कारण प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। यही प्रार्थना प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार निवेदन किया कि वह प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश के निशान दिये गये एंव उपरोक्त निशान पर एंव प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवा देवे तो जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तक तो आज कल का कहकर टालता रहा व आखिर मुकाम तहसील परिसर टिब्बी में कतई इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखासमत है ।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र प्ररतुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की चक 1 आर. डब्ल्यू.डी. पटवार हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा के खाता स० 8 / 8 प० न० 217 / 342 मु० न० 13 के किला न0 14, 15/1, 16/1, 17, 23, 24 / 1 की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश अप्रार्थी को दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 1 आर. डब्ल्यू.डी. पटवार हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा के खाता स० 8 / 8 प० न० 217 / 342 मु० न0 13 के किला न0 14, 15 / 1, 16/1, 17, 23, 24 / 1 कुल 0.949 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश के आदेश क्रमांक 2025/11135/ 1 दिनांक 15.04.2025 को हल्का पटवारी रामपुरा उर्फ रामसरा को दिए गए जिसके पश्चात हल्का पटवारी रामपुरा उर्फ रामसरा द्वारा प्रार्थी के खर्च पर पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान कर निशान पूर्व में दिए जा चुके है। प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी वास्ते आपके न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अगर उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की जाती तो राजहित प्रभावित नहीं होता है । जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमानुसार आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया। जवाब शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट आदेश क्रमांक 2025/11135/ 1 दिनांक 15.04.2025 के अनुसार उक्त आराजी की पैमाईस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर चक 1 आर. डब्ल्यू.डी. पटवार हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा के खाता स० 8 / 8 प० न० 217/342 मु० न0 13 के किला न0 14, 15/1, 16/1, 17, 23, 24/1 कुल 0.949 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश कर हल्का पटवारी व अन्य मौतबिरान ने अपने हस्ताक्षर कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया। जवाब पैरोकार राज के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में हुआ है जिसके स्थाई समाधान हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी सं0 1 को कोई ऐतराज नहीं है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसका नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होने का कोई अंदेशा नहीं है। तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 110–111 एलआरएक्ट सपठित धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को आदेश दिये जाते है कि वे चक 1 आर. डब्ल्यू.डी. पटवार हल्का रामपुरा उर्फ रामसरा के खाता स० 8 / 8 प० न० 217 / 342 मु० न0 13 के किला न0 14, 15 / 1, 16/1, 17, 23, 24 / 1 कुल 0.949 है0 भूमि में अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारितशुल्क जमा करवाया जाकर संबंधित पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर विधिवित् पत्थरगढी व पैमाईश करावें। पत्थरगढ़ी व पैमाईश की उक्त प्रक्रिया के दौरान उक्त मु0न0/किला न0 में दर्ज प्रार्थी एवं अन्य प्रभावित काश्तकार/पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी व पैमाईश किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 8/4/26 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़